

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त प्रकार
..... बनाम
दमा नं मन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामीन
में जारी हुए

1815/27/पक्षकारान के औचकता उपास्थित

पीठासीन अधिकारी जी पीटिंग में/भ्रमण/
स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 18/8/21
को प्रस्तुत हो।

29/7

उपरोक्त कारण के लिए उपास्थित
समस्थित/अनुपस्थित/अपस्थित के
लोक अदालत में प्रस्तुत हो।
दोनों पक्ष इसमें से एक पक्ष
लोक अदालत में प्रस्तुत हो।
प्रकारान दि. 10.10.21 को लोक
अदालत में उपस्थित हो।

अध्यक्ष
लोक अदालत
खींचनर

प्रति मय वकील प्रिंसा उपास्थित के लिए
पेश कर दिक्कत लिखा है। मय प्रिंसा उपास्थित
के मय प्रिंसा उपास्थित के मय प्रिंसा उपास्थित
में इस प्रिंसा उपास्थित के मय प्रिंसा उपास्थित
कायदा है तथा प्रिंसा उपास्थित के मय प्रिंसा उपास्थित
कायदा है।

मय प्रिंसा उपास्थित वकील प्रिंसा उपास्थित
उपास्थित प्रिंसा उपास्थित प्रिंसा उपास्थित
तथा प्रिंसा उपास्थित प्रिंसा उपास्थित

रजु
Indeent
02/08/21

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रमाण पत्र 212 R.T. मल - को -
भीजे - विज्ञान - लीप - रिज्या - मल -
प्रमाण पत्र - सुभार - खर - लार -
मल - लीप - सुभार (क)


सहायक कलेक्टर
खीवसर (नागौर)

शिवगो

शिव

08/10/21



श्रीमान् राहुयक कलेक्टरमहे.

रवीवसर

घाषिया
राजुदेवी

बनाम अर्थाभिज्ञ
नारीवपेशी 11/10/2021
प्रकरण संख्या 63/2016

प्रकरण अखिन चारा 212 RT Act

मान्यवर जी

उपरोक्त विषयाध्वनार्थ निम्न निवेदन
पेश है। कि

1) यह है कि मुझ घाषिया के द्वारा र्थ में राजव
चार एव घार्थनापज पेश किया जाया था उक्त
प्रकरण में हमारे पक्षमारी के मध्य आपस में
लोकअदालत को मानना से चेरित होकर राजीनामा
कर लिया जाय हैने से उक्त प्रकरण को आगे
नही चलाना चाहते है।

(2) यह है कि उक्त प्रकरण को आज नारीव
पेशी पर होकर अरिगे विडो र्वारीज किया
जावे ब्योधि उक्त उक्त कलखान आदेशानिनान
15/10/2016 को जारी किया जाय उते आगे
नही चलाना चाहते है इस कारण को
चारा 212 के प्रकरण को आज नारीव
पेशी पर होकर र्वारीज किया जावे।

उत्तम घार्थनापज पेश कर निवेदन है कि
उक्त घजावली को आज नारीव पेशी पर लेकर
करिये विडो ल र्वारीज किया जावे।

दिनांक 01/10/21

राहु

08/10/21